

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

फैक्स
ई-मेल

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
गया।

पटना-15, दिनांक-.....16.3.15

विषय :- मुख्य शीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवाएँ-101-पुनःगृहीत जागीरों, भूमि क्षेत्र आदि के स्थान पर पेंशन-0002-उपवर्जित मालिकों को मालिकाना या भत्ते, माँग संख्या-40 विपत्र कोड-एन 2075001010002, 3106-सहायक अनुदान वेतन आदि के अलावा, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु 15,000=00 (पन्द्रह हजार) रूपए मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत अध्यक्ष अंजुमन इमामियाँ, गया को भुगतान करने हेतु 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, अन्तर्गत रू0-15,000=00 (पन्द्रह हजार) रूपए मात्र राशि आवंटित की जाती है।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में की जायेगी।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0 (2)दिनांक-17.04.1998 एवं पत्र संख्या-6720/वि0 दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जा रहा है।
5. राशि के भुगतान हेतु वित्त विभाग की सहमति से राज्यादेश सं0-87(5)/रा0 दिनांक-11.03.2015 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।
6. आवंटित राशि के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज दिया जाय।
7. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वरामभाजन
(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।
12-3